संख्या–796 / XVI / 07 / 7(40) 2007

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम निदेशालय उत्तराखण्ड,
प्रेमनगर–देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:–2 देहरादून: दिनांक 10 सितम्बर ,2007

विषय:–वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में राज्य सेक्टर की योजनाओं के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1587 / रेशम / तक0अनु0 / बजट / 2007–08 दिनांक 30, जुलाई, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0–5460000.00(चौवन लाख साठ हजार मात्र) के सापेक्ष रू0–2300000.00(रूपये तेइस लाख मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन / आवंटन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।

2– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–599/XXVII (1)/2007, दिनांक–12 जुलाई, 2007 (छाया प्रति संलग्न) में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों / निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

5– निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

8– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण / व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

–2 /

9– लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित दरों पर ही आगणन गठित करके कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें –02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, के अन्तर्गत संलग्न विवरण में अंकित विभिन्न योजनाओं की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–155 (P)/वित्त अनु0–4/2007, दिनांक–07 सितम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–796/XVI/07/7(40) 2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या 796/XVI/07/7(40) 2007 दिनांक 10 सितम्बर अगस्त 2007 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2006–07 में अनुदान संख्या 30 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर की योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का विवरण।

अनुदान संख्या–30

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं	योजना/मद का नाम लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत (कमशः), 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें (कमशः), 02–अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान (कमशः)	वर्ष 2007–08 हेतु प्राविधानित धनराशि	लेखानुदान के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	0211–सहकारी समितियों को रेशम विकास हेतु कार्यशील पूंजी			
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	300	0	300
2	0212–जैविक रेशम विकास			
	02–मजदूरी	100	0	100
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	20	0	20
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	30	0	30
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	250	0	250
	योग :0212	400	0	400
3	0213–वृक्षारोपण विकास योजना			
	02–मजदूरी	100	0	100
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	100	0	100
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	200	0	200
	योग :0213–	400	0	400
4	0214–केन्द्र पोषित कैटेलिटिक योजनायें			
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1000		1000
5	0293–रेशम उत्पादन प्रचार–प्रसार (जिला योजना)			
	02–मजदूरी	1800	0	0
	08 कार्यालय व्यय	80	0	0
	19–विज्ञापन,बिक्री और विख्यापन व्यय	100	0	0
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	220	0	0
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	500	0	0
	योग :0293	2700	0	0
6	0294–रेशम प्रशिक्षण योजना			
	08–कार्यालय व्यय	20	0	15
	42–अन्य व्यय	180	0	120
	44–प्रशिक्षण व्यय	100	0	65
	योग :0294	300	0	200
7	0295–उत्तरांचल को–आपरेटिव रेशम फेडरेशन की योजना			
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	360	-	-
	महायोग अनुदान संख्या–30 (क्रमांक 1 से 7 तक)	5460	0	2300

(रुपये तेईस लाख मात्र)

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।